नगर परिषद, मकराना

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/MAKRANA/FIRENOC/2025-26/59786

जारी दिनांकः 08-JAN-2026 वैधता दिनांकः 07-JAN-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः SAYYAD ALI

आवेदक का पताः NEAR LAGANSHAH HOSPITAL MAKRANA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **ANJUMAN MAHAVIDYALAYA MAKRANA, 00, NEAR LAGANSHAH HOSPITAL, MAKRANA, MAKRANA, DIDWANA-KUCHAMAN, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु होगा एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्वतः निरस्त माना जावेगा
2. भवन के समस्त स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन प्रशिक्षण दिलावाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयवधि में रीफिल करवाना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
5. यदि राज्य सरकार या नगर निगम नगर परिषद भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी करता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारियों द्वारा कभी भी निरक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में 5000 रूपयें का जुर्माना अथवा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे, संपूर्ण सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगे।
8. अग्निशमन उपकरणों सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगें।
9. अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुल्ला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा।
11. भूमि व भवन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु ये पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

Signed by: Shrawan Ram
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: MAKRANA, Rajasthan
Date: 08/01/2026 18:27:27

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, मकराना